

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / ट्रेनिंग / प-33 / 2011 /

दिनांक :

-: आदेश :-

कार्यक्रम समन्वयक इन्स्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेन्ट रिसर्च, प्रभु दयाल मार्ग, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर द्वारा Nominations for 7th Professional Development Course (PDC) at IIHMR, Jaipur विषय पर आयोजित कार्यशाला दिनांक 07.02.11 से 17.04.11 (10 सप्ताह) तक में भाग लेने हेतु दिनांक 18.02.11 से निम्न चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० श्रीराम मीणा	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सायला (जालौर)
2.	डा० रतन लाल	व०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मांगोली नगर (जालौर)
3.	डा० दिशाल पारीक	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जैतपुर, शाहजहापुर (अलवर)
4.	डा० सोनू शर्मा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र साकून (जयपुर)
5.	डा० बलवीर सिंह गुर्जर	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मोहना (दोसा)
6.	डा० अरविन्द अग्रवाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बूसी (पाली)
7.	डा० नवरत्न रैगर	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र अरेन (अजमेर)
8.	डा० पुरुषोत्तम लाल	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कंकडी (अजमेर)
9.	डा० हरिओम गुप्ता	व०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कंकडी (अजमेर)
10.	डा० सुरेन्द्र सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मालाखेडा (अलवर)
11.	डा० राजेन्द्र कराडिया	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र नवाला (बाडमेर)
12.	डा० खेमराज खमेर	चि०अ०	राजकीय चिकित्सालय, बून्दी
13.	डा० सन्तोष चन्दर	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र घाकसू (जयपुर)
14.	डा० कन्हैया लाल पंवार	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मेडतासिटी (नागौर)
15.	डा० दिनेश पारीक	बी.सी.एम. एच.ओ.	सामु०स्वा०केन्द्र शाहपुरा (भीलवाडा)

उक्त आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों की आवास एवं डी०ए० रू० 200/- प्रतिदिन तथा टी०ए० का भुगतान उक्त संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

80/-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / ट्रेनिंग / प-33 / 2011 / 114

दिनांक : 17/2/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कार्यक्रम समन्वयक इन्स्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेन्ट रिसर्च, प्रभु दयाल मार्ग, एयरपोर्ट के पास सांगानेर, जयपुर को उनके पत्रांक IIHMR/PRS/PDC/2011 दिनांक 10.10.11 एवं 20.12.10 के सन्दर्भ में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद को भेजकर लेख हैं कि कोर्स में भाग लेने हेतु संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त चिकित्सकों को समय पर कार्यमुक्त करने हेतु निर्देशित करें।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्त चिकित्सकों को समय पर कार्यमुक्त कर उक्त कोर्स के लिए संस्थान में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
7. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।